सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 16 / 2016–अपील

पंजीयन दिनांक– 19–01–2016

निर्णय दिनांक – 12–02–2018

1. श्री शंकर पिता पूना मीणा, निवासी नाल हलकार उपला फला तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री जीवा पिता पूना मीणा, निवासी नाल हलकार उपला फला तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री कुरा पिता पूना मीणा, निवासी नाल हलकार उपला फला तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री प्रेमा पिता पूना मीणा, निवासी नाल हलकार उपला फला तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती अम्बावी पत्नी स्व. पूना मीणा, निवासी नाल हलकार उपला फला तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज.)

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता हकरा जी मीणा, निवासी नाल हलकार उपला फला तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री नारायण लाल पिता हकरा जी मीणा, निवासी नाल हलकार उपला फला तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री रामलाल पिता हकरा जी मीणा, निवासी नाल हलकार उपला फला तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सराड़ा जिला उदयपुर।

––रेस्पोडेण्ट

उपस्थितिः–

1– श्री नरेन्द्र सोनी – अधिवक्ता अपीलान्ट्स

2– श्री खेमराज डांगी – अधिवक्ता रेस्पों. संख्या 1 से 3

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सराड़ा, जिला उदयपुर आदेश दिनांक 18–11–2015 प्रकरण संख्या 01/2015 अपील.

–:निर्णय:–

दिनांक 12.02.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सराड़ा, के प्रकरण संख्या 01/2015 निर्णय दिनांक 18–11–2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्रम पंचायत कातनवाड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 01.10.2010 अपीलान्ट्स के नाम स्वीकृत किया गया था। अपीलान्ट्स पूना पिता डूंगा के वारीसान है। पूना पिता डूंगा के स्वर्गवास के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 99 स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण संख्या 126 में अंकित भूमि पूना पिता किशना के खातेदारी में दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 01.10.2010 को स्वीकृत करते समय प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण भी अपीलानट संख्या 1 से 5 क नाम (पूना पिता डूंगा) के वारीसान के नाम स्वीकृत किये जाने से रेस्पों. संखा 1 से 3 ने प्रथम अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा के न्यायालय में पेश की गई। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सराड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 01.10.2010 को खारिज करते हुए पूर्व की स्थिति बहाल रखे जाने का आदेश दिनांक 18.11.2015 पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 29.01.2018 को सुनी गयी तथा वकील रेस्पों. ने लिखित बहस दिनांक 05.02.2018 को पेश की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के पिता श्री पूना मीणा को जमीन आवंटित हुई थी। जो स्वअर्जित पूना

जी की थी। पूना जी की मृत्य कें पश्चात् अपीलान्ट्स के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 01.10.2010 को ग्रम पंचायत कातनवाड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया। जो सही होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने अन्य नामान्तरकरण का हवाला देते हुए अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। रेस्पों. द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील केम्प कातनवाड़ा में दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत् तरीके से अपील निस्तारण कर अपील मेरिट पर खारिज कर दी जिसके विरुद्ध रेस्पों. द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक बार प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित कर दिया है तो उसको वही कोर्ट किसी प्रकार से चेन्ज अथवा रिवर्ट नहीं कर सकती है। क्षैत्राधिकार से परे जाकर अधिनस्थ न्यायालय में अन्तिम रुप से आदेश पारित करने के बाद पुनः दुबारा कार्यवाही कर रेस्पों. की अपील को दिनांक 18.11.2015 को स्वीकार कर ली जो आदेश क्षैत्राधिकार से परे होकर नल एण्ड वोईड व शुन्य प्रभावी है। इसी बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 को अपास्त किया जाकर आदेश दिनांक 02.07.2015 को पारित अंतिम आदेश को बहाल रखाया जावे। आगे यह भी कथन किया कि उक्त पूना जी के जन्म पिता का नाम डूंगा जी था और श्री पूना किशना जी के यहां गोद चले गये थे उनके वहां रह रहे थे इस कारण उक्त पूना जी के पिता का नाम किशना जी दर्ज हो गया था तथा यह खाता पूना पिता किशना जी के नाम पर खोला गया था। पूना पिता किशना जी व पूना पिता डूंगा जी एक ही व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को समझे बिना ही निर्णय करने में भारी भूल की है। अन्त में अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्था न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सराडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2015 अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पों. ने बहस एवं लिखित बहस में बताया कि रेस्पों. संख्या 1 से 3 ने नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 01.10.2010 के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 13.05.2015 नियत थी तथा उक्त पत्रावली केम्प कातनवाड़ा में दिनांक 02.07.2015 को रख कर रेस्पोंडेन्ट्स की अनुपस्थिति में खारीज कर दी गई थी। पत्रावली को केम्प में रखे जाने हेतु रेस्पों. को कोई सूचना नही दी गई थी। जिसे पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर बाद

सुनवाई रेस्पों. आदि की अपील उप जिला कलक्टर सराड़ा द्वारा दिनांक 18.11.2015 को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 01.10.2010 को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। जबकि विवादित आराजीयात का खातेदार पूना पिता किशना मीणा था जिसके वारिस अपीलान्ट्स शंकरलाल वगैरह नहीं है। बल्कि पूना पिता डूंगा की मृत्यु होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण संख्या 99 अपीलान्ट शंकरलाल वगैरह के नाम खोला जाकर दिनांक 06.01.2006 को स्वीकृत किया जा चुका है। विवादित आराजीयात पूना पिता डूंगा की नही होकर पूना पिता किशना के नाम दर्ज है जिसके वारिस रेस्पों. देवीलाल, नारायण लाल, रामलाल पिता हकरा जी मीणा का कब्जा होकर चला आ रहा है व इस समय भी रेस्पोंडेन्ट्स काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में पूना पिता डूंगा के वारिस होना बताया है व साथ ही यह भी कह दिया कि पूना पिता किशना के गोद गये है जो भी गलत है। क्योंकि जब पूना, डूंगा के अकेला पुत्र है जो कानूनन भी गोद नहीं जा सकता हैं तथा अपीलान्ट्स ने पूना पिता किशना के गोद जाने के सम्बन्ध में कोई सबूत भी प्रस्तुत नहीं किये हैं न ऐसे कोई दस्तावेज ही पेश किये है। जिस कारण भी अपील चलने योग्य नहीं है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सराड़ा द्वारा केम्प कोर्ट कातनवाड़ा पर दिनांक 02.07.2015 को रेस्पों. द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए नामान्तरकरण संख्या 126 यथावत रखने का आदेश पारित किया गया। जबकि राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प स्थान कातनवाड़ा में दिनांक 02.07.2015 को बिना रेस्पों. की उपस्थिति में प्रकरण खारिज कर दिया गया। जिसे निरस्त कर पूनः सुनवाई हेतु रेस्पों. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में पुनः सुनवाई कर दिनांक 18.11.2015 को रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 01.10.2010 को खारिज करते हुए पूर्व की स्थिति बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपखण्ड़ अधिकारी ने प्रकरण से सम्बन्धित पटवारी/ तहसीलदार की रिपोर्ट

लिये बिना एवं साक्ष्य में पक्षकारों से कोई दस्तावेज प्राप्त किये बिना ही दो अलग अलग निर्णय पारित किये गये है। जिस कारण हम प्रकरण मे पटवारी/ तहसीलदार की रिपोर्ट एवं पक्षकारों से दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर पक्षकारो को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी सराड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2015 अपास्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्त विवेचित तथ्यों के मद्दे नजर रखते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी सराड़ा को प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर